



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/702

26/11/2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

संदर्भ: डीजीएफटी व्यापार सूचना संख्या 18/2025-26 दिनांक 25.11.2025

विषय: निर्यात-संबंधित गैर-टैरिफ उपायों, परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं पर सूचना के संग्रहण के संबंध में।

आपको सूचित किया जाता है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्यात-संबंधित गैर-टैरिफ उपायों (एनटीएम), परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं पर जानकारी एकत्र करने के संबंध में व्यापार सूचना संख्या 18/2025-26 दिनांक 25.11.2025 जारी की है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित **निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम)** के हिस्से के रूप में, डीजीएफटी अनिवार्य और स्वैच्छिक एनटीएम का व्यापक मानचित्रण कर रहा है, जिसमें प्रमाणन, परीक्षण आवश्यकताएं, निरीक्षण, ऑडिट, लेबलिंग मानदंड और वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्यात पर लागू अन्य नियामक अनुपालन शर्तें शामिल हैं।

इस पहल का समर्थन करने के लिए, डीजीएफटी ने निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और उद्योग संघों से प्रासंगिक एनटीएम और प्रमाणन आवश्यकताओं के बारे में **जानकारी प्रदान करने** का अनुरोध किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- प्रमाणन/निरीक्षण/परीक्षण का नाम और प्रकृति
- चाहे अनिवार्य हो या स्वैच्छिक
- प्रभावित क्षेत्र
- अनुमानित लागत और वैधता
- देश/क्षेत्र जहां लागू हो
- मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं या प्रमाणन निकायों की सूची
- किसी भी अतिरिक्त अनुपालन चुनौतियों का सामना करना पड़ा

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र की तिथि से **०१ दिसंबर, २०२५** तक आवश्यक जानकारी **ऑनलाइन फॉर्म** के माध्यम से प्रस्तुत करें: <https://forms.gle/9e1XmB2vLGftAhmt5>

कृपया ध्यान दें कि प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप प्रासंगिक प्रमाणपत्रों या एनटीएम को डीजीएफटी डेटाबेस में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है, जो निर्यात संवर्धन मिशन या अन्य हस्तक्षेपों के तहत प्रस्तावित भविष्य के समर्थन उपायों को प्रभावित कर सकता है।

हम सभी सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे यथाशीघ्र सटीक और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि PLEXCONCIL उद्योग के हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकें।

किसी भी प्रश्न या फॉर्म भरने में सहायता के लिए, सदस्य संपर्क कर सकते हैं:

ईमेल: bharti@plexconcil.org ; shilpa@plexconcil.org

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकॉन्सिल)